

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा चलाये जा रहे अभियान अवैध शराब व अवैध शस्त्र की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ मय फोर्स लगाया गया था थाना क्षेत्र से मुखविर की सूचना के आधार भिन्न- भिन्न स्थानों पर दबिश देकर 02 व्यक्तियों को नाजायज चाकू व 09 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। विवरण निम्न है -

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- (1) जयहिन्द पुत्र राम रक्षा निवासी नुरुद्दीनचक संझाई थाना चिलुआताल, गोरखपुर
- (2) बीरबल पुत्र राम अवध निवासी नकहा नं0-1 थाना चिलुआताल,
- (3) रिन्कू चौहान पुत्र शम्भू चौहान निवासी पचपेडवा थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
- (4) रामधनेश पुत्र पारस निवासी पचपेडवा थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
- (5) एखलाख अहमद पुत्र मोहम्मद अली निवासी नकहा नं0 1 थाना चिलुआताल गोरखपुर
- (6) राजन शर्मा पुत्र नन्द कुमार शर्मा निवासी बनकटवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- (7) मुसलादुद्दीन पुत्र अब्दुल कयूम निवासी चक्सा हुसैन मिर्जापुर पचपेडवा थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
- (8) फागूचन्द पुत्र शंकर प्रसाद निवासी श्रीराम नगर कालोनी, गडेरिया टोला, बशारतपुर थाना शाहपुर, गोरखपुर
- (9) कौशल्या देवी पत्नी राजू निषाद निवासी लच्छीपुर खास थाना गोरखनाथ, गोरखपुर

बरामदगी-

अभियुक्तगणों के पास से कुल 45 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

- 1- मु0अ0सं0 902/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 2- मु0अ0सं0 903/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 3- मु0अ0सं0 904/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 4- मु0अ0सं0 905/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 5- मु0अ0सं0 906/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 6- मु0अ0सं0 907/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 7- मु0अ0सं0 908/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

- 8- मु0अ0सं0 909/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
9- मु0अ0सं0 911/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- 1- गुड्डू पुत्र नियामतुल्लाह निवासी जमुनहियाबाग शीशे वाली मस्जिद के पास थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2- विक्रम पुत्र रामअवध निवासी निवासी 661 जटेपुर उत्तरी मिठाईलाल का हाता थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

अभियुक्तगणों के पास से 02 अदद नाजायज चाकू बरामद होना

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

- 1- मु0अ0सं0 900/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2- मु0अ0सं0 901/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

गिरफ्तारी का स्थान- नकहा ओवर ब्रिज, वौलिया रेलवे क्रासिंग दिनांक- 12.09.2020

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

- 1-उ0नि0 गजेन्द्र बहादुर सिंह थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।
2-उ0नि0 पंकज यादव थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
3-उ0नि0 नितिन श्रीवास्तव थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।
4- उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार गौतम थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।
5- उ0नि0 सत्य प्रकाश चौबे थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।
6- उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।
7- उ0नि0 शम्भू प्रसाद साहनी थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
8-का0 उमेश प्रसाद यादव थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।
9-का0 सुनील कुमार- 1 थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।

10- कां0 द्रेवेन्द्र प्रताप यादव थाना गोरखनाथ, गोरखपुर ।

11-का0 अनन्त कुमार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर ।